

नगर पालिका, भंडरा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BHADRRRA/FIRENOC/2024-25/47690
जारी दिनांक: 18-JUN-2025 वैधता दिनांक: 17-JUN-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: KALU RAM GOSWAMI
आवेदक का पता: WARD NO 22 BHADRA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन TAGORE INTERNATIONAL SCHOOL, WARD NO 36 CHAK 10 BARANI, HISAR ROAD BHADRA, BHADRA, BHADRA, HANUMANGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक््योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निमन उपकरण समय अवधि में रीफल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान दिये गये आवश्यक दिा निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा।
5. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
6. यदि राज्य सरकार या नगरपालिका द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी करती है तो उक्त जारी नियम/उपनियम की पालना करना आवश्यक है।
7. फायर नियमों की पूर्ण पालना करना आवश्यक है किसी भी समय उक्त भवन का मोक निरक्षण किया जा सकता है यदि उक्त भवन फायर नियमों की पालना नहीं करता है तो जारी स्थाई फायर एनओसी को निरस्त कर दिया जावेगा।
8. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्याल स्थिति में रखने को बाध्य होगा। फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. नियमानुसार निर्धारित शुल्क/राशी आवेदक द्वारा नगर निगम कोश में जमा करवाई जानी होगी इसके अभाव में यह अभिशंशा पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
11. फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाए जावे व व्यवस्था की जावे उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/ आवेदक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
12. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनीय पदार्थ नहीं रखा जावे। रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
13. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र भूखण्ड के स्वामित्व का अधिकार पत्र नहीं होगा और ना ही न्यायलय में भूखण्ड के स्वामित्व के अधिकार के रूप में मान्य होगा साथ ही भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं होगा। जिस भाग के लिए यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
15. उक्त शर्तों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन किये जाने पर नगरपालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत भवन को सील किया जा सकेगा तथा आवेदक की जमा शुल्क को जप्त किया जा सकेगा।



Signed by: Pawan Kumar
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: BHADRRRA, Rajasthan
Date: 18/06/2025 18:02:04

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, भंडरा